अनुबंध-I

फॉर्म ODI भाग I
खंड ए : भारतीय पार्टी (आइपी) / निवासी व्यक्ति (आरआइ) का ब्यौरा
I. रिपोर्ट करने वाले एडी बैंक का कोड
II. निवेश स्वचालित रूट अनुमोदन रूट
III. आइपी/आरआइ का ब्यौरा
i आइपी/आरआइ का नाम
ii पैन सं.
iii आइपी का समूह
iv आइपी का गतिविधि कोड
v आइपी/आर आइ का पता
vi शहर
vii राज्य
viii पिन
ix निवल संपत्ति
x संपर्क व्यक्ति
xi संपर्क व्यक्ति का पदनाम
xii दूरभाष सं
xiii मोबाइल सं.
xiv फैक्स
xv इमेल आइडी
IV आईपी/आरआई का स्तर (कृपया सही श्रेणी पर चिह्न लगाएँ)
i. पब्लिक लिमि. कंपनी vi अपंजीकृत भागीदारी
ii प्रा. लिमि. कंपनी vii मालिकाना
iii सार्वजानिक क्षेत्र के उद्‌यम viii न्यास
iv व्यक्ति ix समिति
v पंजीकृत भागीदारी x अन्य (निर्दिष्ट करें)
V पिछले 3 वर्ष के वित्तीय ब्योरे (क्या आइपी वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत है अथवा स्वामित्व गैर पंजीकृत भागीदारी में आती है)
i ब्योरा (रु में राशि) वर्ष (31-3-) वर्ष (31-3) वर्ष (31-3)
ii विदेशी मुद्रा में आय
(संयुक्त उद्‌यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को इक्विटी निर्यात छोड़कर)
iii निवल लाभ
iv प्रदत्त पूंजी
v क) भारतीय पार्टी ख) समूह कंपनी @

@ 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं फेमा 120/आरबी -2004 के विनियम 6(3) में स्पष्ट किए अनुसार दिया जाए.
VI वर्तमान संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अथवा आइपी/आरआइ लागू करने का ब्यौरा
आवश्यकहोने पर अलग शीट लगाएँ
आइपी/आइआर रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित नामित एडी बैंक
का नाम विशिष्ट पहचान सं. का नाम
i
ii
iii
iv
v
VII क्या आइपी/आरआइ जाँच/निर्यात चेतावनी सूची/ से तक
बैंकिंग चूक सूची के अधीन है? यदि हाँ, तो जाँच तारीख़ तारीख़
एजेंसी का नाम और जाँच की अवधि का उल्लेख
करें.

फॉर्म ODI भाग-I

खंड बी : संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी/स्टेप डाउन अनुषंगी(एसडीएस) की पूँजी संरचना और अन्य ब्यौरा

रिपोर्ट करने वाले एडी बैंक का कोड

रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 13 अंकों की विशिष्ट पहचान सं.दें (यदि लागू हो)

I. संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का ब्यौरा

i. संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का नाम	
ii. संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का पता	
iii. देश का नाम	
iv. संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का इमेल आइडी	
v. संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा लिया जा रहा लेखा वर्ष	
vi.एनआइसी के अनुसार संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गतविधि कोड	
vii. समुद्रपारीय अभिग्रहण की अनुमानित लागत/ उचित मूल्य	
viii. संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की उपर्युक्त के संबंध में वित्तीय प्रतिबद्धता	
ix. संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की वित्तीय प्रतिबद्धता	

VII क्या संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी विशेष प्रयोजन संस्था है (हाँ/नहीं). यदि हाँ तो निम्नानुसार ब्यौरा दें.

i विशेष प्रयोजन संस्था का प्रयोजन	
Ii समुद्रपारीय अभिग्रहण का कुल मूल्य	
iii विशेष प्रयोजन संस्था	
iv आइपी द्वारा जारी गारंटी/काउंटर गारंटी के साथ विदेश में जुटाई गई राशि	
v. आइपी द्वारा बिना गारंटी/काउंटर गारंटी के विदेश में जुटाई गई राशि	
vi. विदेशी निवेशकों द्वारा इक्विटी/वरीयता इक्विटी/ शरेधारकों के ऋण से दिया गया कोष	
vii. प्रतिभूतिकरण	
viii अन्य कोई साधन	
ix जोड़	

VIII. प्रस्तावित/अद्यतन पूँजी ढांचा

i	भारतीय पार्टी/ आरआइ	जोखिम	Ii	विदेशी भागीदार	जोखिम
1			4		
2			5		
3			6		

IX संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की एसडीएस के निवेश/विनिवेश का ब्यौरा निर्धारित फॉर्मेट दें (एसडीएस की सं. अधिक होने पर अलग अलग शीट लगाएँ)

i. एसडीएस का नाम, स्तर और देश	
ii. मूल एसडीएस का नाम, स्तर और देश	
iii. एसडीएस के मूल का नाम	
iv. निवेश का स्वरूप	
v. स्टेप डाउन अनुषंगी का स्वरूप	
vi. एनआइसी 1987 के अनुसार गतिविधि कोड	
vii. निवेश की राशि और निवेश की तारीख (यदि कोई हो तो)	
viii. एसडीएस में मूल कंपनी का जोखिम का प्रतिशत	

फॉर्म ODI भाग I

खंड सी : भारतीय पार्टी/निवासी व्यक्ति के लेन देन/विप्रेषण/वित्तीय प्रतिबद्धता का ब्यौरा

रिपोर्ट करने वाले एडी बैंक का कोड

रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 13 अंकों की विशिष्ट पहचान सं.दें(यदि लागू हो)

X. आइपी/आरआइ का नाम XI. निवेश का प्रयोजन (कृपया उचित श्रेणी में सही का निशान लगाएँ) (यह क ख ग घ में से कोई भी हो सकता है)

क	नई परियोजना में निवेश का प्रयोजन @		ख	वर्तमान परियोजना में अनुपूरक निवेश का प्रयोजन@	
I	संयुक्त उद्यम में भागीदारी		I	समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में इक्विटी बढ़ाना	
Ii	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में अंशदान		Ii	वरीयता प्राप्त इक्विटी/ परिवर्तनीय ऋण बढ़ाना	
Iii	विदेशी संस्था का पूर्ण अभिग्रहण		Iii	वर्तमान संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में अनुदान /वृद्धि	
Iv	विदेशी संस्था का आंशिक अभिग्रहण		Iv	गारंटी की वृद्धि/विस्तार	
V	अनिगामित निकाय में निवेश		V	अनिगामित निकाय को विप्रेषण	
Vi	अन्य		vi	अन्य	

ग	ऋण को इक्विटी में बदलना और इसके विपरीत #		घ	रिज़र्वबैंक को पहले से सूचित गारंटी की राशि और तारीख में परिवर्तन ##	

XII. वर्तमान विप्रेषण/किए गए लेन देनो का ब्यौरा (निवेश के उचित तरीके का चयन करें तथा नोट और नीचे दी गई तालिका के अनुसार अन्य ब्यौरा दें):

I	निवेश का स्वरूप	
Ii	निवेश की श्रेणी	
Iii	अन्य ब्यौरा #,##	
Iv	विप्रेषण की राशि/अन्य वित्तीय प्रतिबद्धता **	

नोट:

**कृपया स्विफ्ट कोड के अनुसार विदेशी मुद्रा (एफसीवाई) निर्दिष्ट करें.

@ कृपया पूंजीकृत किए जा रहे अन्य देय निर्दिष्ट करें, यथा रॉयल्टी,तकनिकी जानकारी शुल्क, परामर्श शुल्क आदि.

$ ऋण को इक्विटी में बदलने और इसके विपरीत पर कृपया अन्य ब्योरे में निम्नलिखित जानकारी दें:-अ) परिवर्तन की तारीख आ)इक्विटी/ऋण में परिवर्तित राशि इ) ऋण/इक्विटी में मूल विप्रेषण ऑनलाइन रिपोर्ट करते समय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित 15 अंकों की लेन देन सं.

$$ गारंटी में आवर्तन/परिवर्तन होने पर कृपया अन्य ब्योरे में निम्नलिखित जानकारी दें:-अ) गारंटी में आवर्तन/परिवर्तन होने की तारीख आ)नई गारंटी की वैधता की तारीख इ) नई गारंटी की राशि ई) ऋण/इक्विटी में मूल विप्रेषण ऑनलाइन रिपोर्ट करते समय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित 15 अंकों की लेन देन सं.

क्र. सं.	निवेश का तरीका या साधन	निवेश की श्रेणी (ओपीएस :अन्य वरीयता शेयर, आइपी: भारतीय पार्टी					अन्य ब्यौरा
1	नकदी विप्रेषण - इइएफसी	इक्विटी	सीसीपीएस	ओपीएस	ऋण	गारंटी लागू की गई	विप्रेषण तारीख
2	नकदी विप्रेषण - इइएफसी	इक्विटी	सीसीपीएस	ओपीएस	ऋण	गारंटी लागू की गई	विप्रेषण तारीख
3	इसीबी	इक्विटी	सीसीपीएस	ओपीएस	ऋण	गारंटी लागू की गई	विप्रेषण तारीख
4	एफसीसीबी	इक्विटी	सीसीपीएस	ओपीएस	ऋण	गारंटी लागू की गई	विप्रेषण तारीख
5	एडीआर	इक्विटी	सीसीपीएस	ओपीएस	ऋण	गारंटी लागू की गई	विप्रेषण तारीख
6	जीडीआर	इक्विटी	सीसीपीएस	ओपीएस	ऋण	गारंटी लागू की गई	विप्रेषण तारीख
7	शेयर बदलना	इक्विटी					विप्रेषण तारीख
8	@पूंजीकरण - निर्यात/अन्य	इक्विटी	सीसीपीएस	ओपीएस	ऋण	गारंटी लागू की गई	विप्रेषण तारीख
9	@पूंजीकरण - अन्य(निर्दिष्ट करें)	इक्विटी	सीसीपीएस	ओपीएस	ऋण	गारंटी लागू की गई	विप्रेषण तारीख
10	अन्य-कोष आधारित (निर्दिष्ट करें)	इक्विटी	सीसीपीएस	ओपीएस	ऋण	गारंटी लागू की गई	विप्रेषण तारीख
11	जारी की गई कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत गारंटी	आइपी द्वारा कॉर्पोरेट गारंटी		तृतीय पक्ष द्वारा व्यक्तिगत गारंटी	तृतीय पक्ष द्वारा व्यक्तिगत गारंटी		जारी करने की तारीख तथा वैधता की तारीख
12	निष्पादन गारंटी जारी	निष्पादन गारंटी जारी की गई					जारी करने की तारीख तथा वैधता की तारीख
13	बैंक गारंटी जारी (बैंक का नाम)	निष्पादन गारंटी जारी की गई					जारी करने की तारीख तथा वैधता की तारीख
14	प्रभार लागू करना-विदेशी आस्तियां	संयुक्त उद्यम/डब्ल्यू ओ एस के	चल और अचल संपत्ति	अन्य वित्तीय आस्तियां	प्रभार लागू करने की तारीख और वैधता की तारीख		

		शेयर			
15	प्रभार लागू करना-घरेलु आस्तियां (रु में निर्दिष्ट करें) (समुद्रपारीय उधारदाता का नाम)	आईपी और/अथवा उसकी समूह कंपनियों के शेयर	आईपी और/अथवा उसकी समूह की आईपी और/अथवा उसकी समूह चल और अचल संपत्ति	आईपी और/अथवा उसकी समूह की अन्य वित्तीय आस्तियां	प्रभार लागू करने की तारीख और वैधता की तारीख (केवल बाईएनआर में अनुमति)
16	अन्य-गैर निधि आधारित (निर्दिष्ट करें)				
17	समामेलन के फलस्वरूप ODI	इक्विटी	ऋण	गारंटी	समामेलन की तारीख
18	बिक्री/अंतरण/ समामेलन के/द्वारा फलस्वरूप ODI	इक्विटी	ऋण	गारंटी	बिक्री/अंतरण की तारीख

प्राधिकृत शाखा द्वारा भरा जाए (जो लागू न हो उसे काट दें)

हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि-------------------के लिए (इक्विटी/ऋण/गारंटी)- -----------(विदेशी मुद्रा में राशि) का विप्रेषण/लेन देन किया है

i) इसे भारतीय पार्टी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर स्वायत्त रूट के अंतर्गत अनुमति प्राप्त है.

ii) इसे भारतीय पार्टी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर अनुमोदन रूट के अंतर्गत अनुमति प्राप्त है.

iii) रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुमोदन की शर्तों के अनुसार है.

iv) निवासी व्यक्ति की ओर से दिनांक 7 जुलाई 2004 की फेमा अधिसूचना सं 120/आरबी -2004, समय समय पर संशोधित,के अनुसार एलआरएस के अंतर्गत इसकी अनुमति है.

v) लागू की गई गारंटी के संबंध में विदेश में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की ओर से/को जारी गारंटी की शर्तों के अनुरूप दावे की पुष्टि करके विप्रेषण किया गया है.

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर		स्टाम्प/सील
प्राधिकृत अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर		
स्थान	तारीख	
दूरभाष सं.	फैक्स	

फॉर्म ODI - भाग I

खंड डी : भारतीय पार्टी/ निवासी व्यक्ति द्वारा घोषणा

अ) क्या भारतीय पार्टी/ निवासी व्यक्ति किसी जाँच/ प्रवर्तन एजेंसी/ विनियामक निकाय द्वारा जाँच के अधीन हैं. यदि हाँ, तो जाँच की वर्तमान स्थिति / न्याय निर्णय/ मामले के निपटान के स्वरूप सहित उसका संक्षिप्त ब्यौरा दें

आ) क्या प्रवर्तक भारतीय पार्टी (पार्टियाँ) वर्तमान में निर्यात आय की वसूली न होने पर रिज़र्व बैंक की निर्यात चूक सूची में अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित बैंकिंग प्रणाली की चूककर्ता की सूची में हैं ? यदि हाँ, तो भारतीय पार्टी की स्थिति:

इ) प्रस्तावित फर्म की स्थापना/उसे प्राप्त करने करने के लिए आयोजक देश में उपलब्ध विशेष लाभ/ प्रोत्साहन सहित इस प्रस्ताव से सम्बंधित और कोई जानकारी.

ई) भारतीय पार्टी के सभी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के संबंध में दिनांक 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं फेमा 120/आरबी-2004, समय समय पर संशोधित, के विनियम 15(I) और 15 (III) के अनुसार अपेक्षित शेयर प्रमाणपत्र तथा वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट, जहाँ लागू हो.

उ) भारतीय पार्टी/निवासी व्यक्ति के सभी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के संबंध में अधिसूचना सं फेमा उसी अधिसूचना के विनियम 15(II)में अपेक्षित किए अनुसार सभी प्राप्त की जाने वाली आय प्रत्यावर्तित की गई है.

ऊ) यदि उस अनुषंगी संस्था की गतिविधि वित्तीय सेवाओं से सम्बंधित है तो यह प्रमाणित किया गया है कि हमने दिनांक 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं फेमा 120/आरबी-2004, समय समय पर संशोधित के विनियम 7(2) का अनुपालन किया है.

मैं/हम एतदद्वारायह प्रमाणित करते हैं कि उपर डी गई जानकारी सही है.

आइपी/आरआइ के प्राधिकृत

पदाधिकारी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत पदाधिकारी का

नाम और हस्ताक्षर

स्थान तारीख

दूरभाष सं. फैक्स सं.

अनुलग्नकों की सूची :

1	2.	3.
4.	5.	6.

फॉर्म ODI - भाग I

खंड ई : भारतीय पार्टी के संविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं फेमा 120/आरबी-2004 समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) विनियमावली, 2004 का -------------------(भारतीय पार्टी का नाम) द्वारा रिपोर्ट के अंतर्गत निवेश के संबंध में अनुपालन किया गया है. विशेष रूप से यह प्रमाणित किया जाता है कि:

I. यह निवेश सम्पदा अथवा बैंकिंग कारोबार में नहीं है, तथा

II. पहले से की गई प्रतिबद्धता सहित निवेश हेतु भेजा गया विप्रेषण/लेन देन समय समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विहित सीमा के भीतर है. इसका सत्यापन अंतिम लेखा परिक्षित तुलन पत्र की तारीख को (तारीख) भारतीय पार्टी (भारतीय पार्टी का नाम) ---------------------की निवल संपत्ति (राशि रु में--------/ राशि विदेशी मुद्रा में-----------) के सन्दर्भ में किया गया है.इस प्रकार निवल संपत्ति ----------प्रतिशत है.

III. भारतीय पार्टी की वित्तीय प्रतिबद्धता 3 जुलाई 2014 के ए.पी. (निदेश श्रंखला) परिपत्र सं. 1 के अनुसार इस वित्तीय वर्ष की एक बिलियन की सीमा के भीतर है.

IV. इक्विटी के लिए निवेश हेतु निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों का अनुपालन किया गया है तथा --------------------(शेयरों की सं.)में निवेश का मूल्याँकन------------------(विदेशी मुद्रा में राशि) है.

V. इसीबी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है.#

VI. कि भारतीय पार्टी ने क) पिछले तीन वर्षों में शुद्ध लाभ कमाया है, ख) सम्बंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पूँजी पर्याप्तता के विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा किया है; ग) भारत में उचित विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत है तथा घ) भारत और विदेश में सम्बंधित विनियामक प्राधिकरण से वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश हेतु अनुमोदन प्राप्त किया है.

साथ ही, प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय पार्टी के सभी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के संबंध में(नीचे तालिका में यूएनआइ दें) उसी अधिसूचना के विनियम 15(II)में अपेक्षित किए अनुसार वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है. (जरूरी हो तो अलग शीट लगाएँ)

यूएनआइ 1 यूएनआइ 2 यूएनआइ 3

यूएनआइ 4 यूएनआइ 5 यूएनआइ 6

टिप्पणी :* केवल वित्तीय क्षेत्र में (यथा बीमा, म्यूच्यूअल फण्ड, आस्ति प्रबंधन आदि)निवेश प्रतावित किए जाने पर

ईसीबी/ एफसीसीबी शेष केमाध्यम से निवेश का निधियन किए जाने पर लागू.

भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के हस्ताक्षर

स्टाम्प/सील

फर्म का नाम और पंजीकरण सं.

स्थान

तारीख

ODI भाग I फॉर्म के प्रस्तुतीकरण से सम्बंधित अनुदेश

क) स्वचालित रूट में- एडी श्रेणी-I बैंक समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति फॉर्म ODI में आवेदनपत्र प्राप्त करने पर दे सकते हैं जहाँ भारतीय पार्टी दिनांक 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं फेमा 120/आरबी-2004, समय समय पर संशोधित, के विनियम 6 का अनुपालन कर रही है तथा निवासी व्यक्ति उसी फेमा अधिसूचना की सूची 6 के साथ पठित विनियम 20 का अनुपालन कर रहे हैं.

ख) अनुमोदन रूट में- आवेदनपत्र फॉर्म रिज़र्व बैंक को ODI भाग I में ऊपर निर्दिष्ट अनुसार ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाए.

अनुमोदन रूट के अंतर्गत प्रस्ताव विधिवत संवीक्षा के बाद तथा फॉर्म ODI के भाग I के खंड घ और च की प्रति के साथ नामित एडी बैंक की विशिष्ट सिफारिशों के साथ मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, अमर बिल्डिंग, 5 वीं मंजिल, सर पी एम मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 को समर्थक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किए जाएँ.

प्रस्ताव अनुमोदित होने पर एडी बैंक रिज़र्व बैंक को सूचित करते हुए विप्रेषण करें ताकि अनुमोदन रूट में यूआइएन आबंटित किया जा सके.

रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के लिए नामित प्राधिकृत व्यापारी द्वारा ODI फॉर्म के भाग I के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं:

क) भारतीय पार्टी के नामित प्राधिकृत व्यापारी से निम्नलिखित ब्यौरा देते हुए बंद लिफाफे में पत्र.

- ओआइडी आवेदन द्वारा सृजित लेन देन सं.
- भारतीय संस्था का संक्षिप्त ब्यौरा
- समुद्रपारीय संस्था का संक्षिप्त ब्यौरा
- प्रस्ताव की पृष्ठभूमि, यदि कोई हो
- लेन देन का संक्षिप्त ब्यौरा
- वर्तमान फेमा परंतुकों की चर्चा करते हुए अनुमोदन के कारण
- नामित एडी बैंक की निम्नलिखित के संबंध में टिपण्णी:
    1. भारत से बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की प्रथम दृष्टया अर्थक्षमता
    2. बाहरी व्यापार में अंशदान तथा अन्य लाभ, जो ऐसे निवेश से भारत को प्राप्त होंगे.
    3. भारतीय पार्टी और विदेशी संस्था की वित्तीय स्थिति और कारोबार का रिकॉर्ड.
    4. भारतीय पार्टी का भारत से बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से उसी अथवा सम्बंधित गतिविधि में अनुभव और दक्षता.
- नामित एडी बैंक की सिफारिशें
    1. भारतीय पार्टी द्वारा नामित एडी बैंक को पत्र.
    2. प्रस्तावित लेन देन/देनों के लिए बोर्ड का संकल्प.
    3. भारतीय पार्टी की सभी अनुषंगी संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना तथा स्तर (क्या परिचालन में अथवा एसपीवी) दर्शाते हुए चित्र में दर्शाया जाए.

4. समुद्रपारीय संस्था के लिए सम्मिलित करने तथा मूल्यांकन प्रमाणपत्र (यदि लागू हो).
5. उचित रूप से संख्या दर्शाते हुए, सूचीबद्ध तथा चिन्हित किए हुए अन्य सम्बंधित दस्तावेज.

ग) भाग I में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, भारतीय पार्टियों/ निवासी व्यक्तियों का ब्योरा और समुद्रपारीय संस्थाओं के विप्रेषण/ अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताए होंगी और ये प्रस्तुत की जाएंगी:

- आरंभिक विप्रेषण के समय.
- अनुपूरक निवेश के लिए विप्रेषण तथा अन्य किसी वित्तीय प्रतिबद्धता रिपोर्ट करने के लिए.

घ) स्वचालित रूट के अंतर्गत बाद में भेजे जाने वाले विप्रेषण (अथवा वित्तीय प्रतिबद्धता) तथा अनुमोदन रूट के अंतर्गत विप्रेषण (अथवा वित्तीय प्रतिबद्धता) भारिबैं से यूआइएन की स्वचालित ई मेल से पुष्टि के बाद ही भेजे जाएँ.

ङ) एक आइपी/ आरआइ से अधिक द्वारा निवेश (अथवा वित्तीय प्रतिबद्धता) संयुक्त रूप से किए जाने पर फॉर्म ODI सभी निवेश करने वाली संस्थाओं द्वारा अलग अलग भरे जाने चाहिए और एडी बैंक की नामित शाखा को प्रस्तुत किए जाने चाहिए. एडी बैंक प्रतेक पार्टी का ब्यौरा देते हुए समेकित फॉर्म ODI ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा. रिज़र्व बैंक उस समुद्रपारीय परियोजना को एक ही यूआइएन आबंटित करेगा.

च) उसी अधिसूचना के विनियम 11 के अनुसार भारतीय पार्टियों को निर्यात के पूंजीकरण अथवा अन्य देय रशि यथा रोयाल्टीस, तकनीकी जानकारी की फीस, परामर्श फीस आदि विदेश में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश (अथवा वित्तीय प्रतिबद्धता) की अनुमति है. ऐसे मामलों में भी आइपी से अपेक्षा की जाती है कि वह नामित एडी बैंक की शाखा को फॉर्म ODI में पूंजीकरण का ब्यौरा दे.

छ) सभी भारतीय पार्टियों/ निवासी व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश उन सम्बंधित एडी बैंक के माध्यम से लें, जिन से उन्होंने यूआइएन प्राप्त किया है.

ज) विदेशी मुद्रा(एफसीवाई)तथा भारतीय रु.(आइएनआर) वास्तविक होने चाहिए. कृपया स्विफ्ट कोड के अनुसार विदेशी मुद्रा का नाम दें.

झ) तारीखें दिदि/मामा/ववvव के फार्मेट में दी जाएँ.

ञ) फॉर्म ODI भाग I का प्रत्येक पृष्ठ आरआइ/अथवा आइपी के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और स्टाम्प तथा तारीख युक्त होना चाहिए.

ट) यदि एक संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में एक से ज्यादा आइपी/आरआइ निवेश कर रहे हैं तो फॉर्म ODI भाग I प्रत्येक आइपी/आरआइ द्वारा प्रस्तुत किया जाए.

ठ) समुद्रपारीय अभिग्रहण की अनुमानित लागत/ उचित मूल्य - अनुमानित लागत/ उचित मूल्य विदेशी मुद्रा में होना चाहिए.

ड) वर्तमान संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनीके साथ वित्तीय प्रतिबद्धता- आइपी/आरआइ द्वारा इक्विटी,ऋण और गारंटी के प्रति वित्तीय प्रतिबद्धता दी जानी चाहिए.

ढ) सांविधिक लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणपत्र केवल आइपी के मामले में दिया जाना आवश्यक है, आरआइ के मामले में नहीं.

ण) इक्विटी को ऋण में बदलने के प्रस्ताव नामित एडी बैंक के माध्यम से पूर्वानुमति के लिए रिज़र्व बैंक के पास भेजे जाने चाहिए.

त) रिज़र्व बैंक के पास यह जानकारी पब्लिक डोमेन में डालने का अधिकार सुरक्षित होगा.

ODI भाग II फॉर्म के प्रस्तुतीकरण से सम्बंधित अनुदेश :

क) आइपी के लेखा परीक्षकों से एपीआर प्रमाणित करा के नामित एडी बैंक के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक, तब तक प्रस्तुत की जाए जब तक संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कार्यरत है.

ख) आइपी/आरआइ यह सुनिश्चित करेगा की पिछले सभी वर्षों के एपीआर नामित एडी बैंक को प्रस्तुत कर दिए गए हैं.

ग) पैरा I: तारीखें दिदि/मामा/वववव के फार्मेट में दी जाएँ.

घ) कृपया स्विफ्ट कोड के अनुसार विदेशी मुद्रा का नाम दें.

ङ) पैरा II : कृपया भारिबैं द्वारा जारी 13 अंकों का यूआइएन दें.

च) पैरा III : पूंजी संरचना संचयी होना चाहिए तथा प्रतिशत जोखिम संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में आइपी/आरआइ का जोड़ होना चाहिए.

छ) पैरा IV (i) : हानि के लिए दिए गए आंकड़े कोष्ठकों में होने चाहिए.

ज) पैरा V :" कारोबार आरम्भ करने से" के अंतर्गत दिए गए आंकड़े वर्तमान वर्ष में दिए गए आंकड़ों से अधिक होने चाहिए.

झ) पैरा V(ii) : वरीयताप्राप्त शेयरों(आवश्यक रूप से परिवर्तनीय वरीयताप्राप्त शेयरों के रूप में नहीं) को भी दर्ज किया जाना चाहिए.

ञ) पैरा V (ix) : संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लाभ दर्शत है जिन्हें संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में रखा गया है/ पुन:निवेश किया गया है.

ट) पैरा VI(x) -ऋण अथवा लाइसेंस शुल्क पर ब्याज इत्यादि दर्शाता है.

ठ) पैरा VI- स्टेप डाउन अनुषंगी निम्नानुसार हो सकती है:

अ) परिचालन में कंपनी

आ) होल्डिंग कंपनी/विशेष प्रयोजन वाहन

इ) होल्डिंग व परिचालन कंपनी

ड) पैरा VI(iv) : निवेश का स्वरूप पूर्णत: स्वामित्व वाली स्टेप डाउन अनुषंगी (डब्ल्यूओ एसडीएस) अथवा स्टेप डाउन संयुक्त उद्यम(संयुक्त उद्यम एसडीएस) हो सकता है.

ढ) स्टेप डाउन अनुषंगी के स्तर की गणना संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को मूल समझ कर की जानी चाहिए. अत: एसडीएस को सीधे संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के अधीन मान कर प्रथम स्तर का एसडीएस मानाजाना चाहिए. तदनुसार प्रथम स्तर के अधीन एसडीएस को दुसरे स्तर का एसडीएस माना जाना चाहिए.

ण) राखी जाने वाली आय की गणना अंतरराष्ट्रीयमुद्रा कोष के अद्यतन खंड के प्रकाशन "भुगतान संतुलन और अंतर राष्ट्रीय निवेश स्थिति मैन्युअल" के अनुसार की जानी चाहिए. यह नोट किया जाए रखी गई नकारात्मक आय को ० (शून्य) माना जाए.

त) सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणपत्र केवल आइपी के मामले में दिया जाना आवश्यक है, आरआइ के मामले में नहीं.

थ) फॉर्म II के ODI (एपीआर) का प्रत्येक पृष्ठ आरआइ/अथवा आइपी के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और स्टाम्प तथा तारीख युक्त होना चाहिए.

फॉर्म ODI -भाग III

संयुक्त उद्यम /पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की शेयरों बिक्री अथवा अंतरण/बंद होने/स्वैच्छिक रूप से समापन/समाप्त करने/ समामेलन/विलयन से विनिवेश की रिपोर्टिंग

नोट: सभी राशियाँ वास्तविक और एक विदेशी मुद्रा में होनी चाहिए.

रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान सं.

क्र सं	एडी बैंक का नाम, कोड और पता				
i	पिछली एपी आर से सम्बंधित प्रस्तुतीकरण की तारीख और अवधि				
Ii	विनिवेश रूट(सही)	अनुमोदन रूट		स्वचालित रूट	
iii	विनिवेश स्वरूप (सही)	पूर्ण विनिवेश		आंशिक विनिवेश	
iv	विनिवेश की तारीख				
v	विनिवेश करने वाले आइपी/आरआइ का नाम और पैन सं.				
Vi	विनिवेश के समय जोखिम %			आंशिक विनिवेश में विनिवेश जोखिम%	
Vii	विनिवेश का स्वरूप			अनुलग्न फॉर्म iii के अनुसार ब्यौरा दें.	
i	दुसरे आइपी/व्यक्ति को शेयरों की बिक्री अथवा अंतरण		जोखिम खरीदने वाली संस्था का ब्यौरा दें तथा यह भी बताएँ कि क्या जोखिम खरीदने वाली संस्था संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में वर्तमान विदेशी भागीदार/भारतीय भागीदार है या सम्बंधित संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में पहली बार जोखिम खरीदने वाली विदेशी पार्टी/भारतीय पार्टी है.		
ii	संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का बंद होना/स्वेच्छिक समापन		संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का ब्यौरा		
iii	संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की पुन: खरीद		संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का ब्यौरा		
iv	उसी आइपी अथवा अलग आइपी के दो अथवा अधिक संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व		समामेलन होने वाले तथा कार्यरत संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का		

	वाली सहायक कंपनी का समामेलन	ब्यौरा, यथा संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का नाम,तथा दोनों संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का यूआइएन दें.
v	उसी आइपी अथवा अलग आइपी की स्टेप डाउन अनुषंगी के साथ संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का समामेलन	समामेलन होने वाले संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का यूआइएन,एसडीएस में अप्रत्यक्ष जोखिमरखने वाले आइपी का नाम, एसडीएस का नाम,एसडीएस का स्तर तथा मूल एसडीएस का नाम और देश का नाम दें.
vi	आइपी/आआर के संबंध में किसी स्वतंत्र विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का समामेलन	विदेशी कंपनी का ब्यौरा यथा नाम और पता दें.

VIII. समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश का सारांश (संचयी राशि)

i	इक्विटी	ऋण	जारी की गई गारंटी	लागू की गई गारंटी

IX. विप्रेषण/लेन देन की तारीख वार ब्यौरा (आवश्यक होने पर अलग शीट लगाएँ)

i	विप्रेषण/लेनदेनकी तारीख	निवेश का स्वरूप	निवेश की श्रेणी	राशि

X. मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कुल विनिवेश का उचित मूल्य

XI. क्या राशि बट्टे खाते डाली गई है?यदि हाँ, तो बट्टे खाते डाली गई राशि दें

i	इक्विटी	ऋण	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

XII. विनिवेश की वापस भेजी गई राशि (आवश्यक होने पर अलग शीट लगाएँ)

i	वापस भेजी गई राशि	इक्विटी	ऋण	अन्य

XIII. विनिवेश आय को छोड़कर पिछली एपीआर की रिपोर्टिंग से वापस बेजी गई राशि

i	इक्विटी	ऋण	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

फॉर्म ODI भाग III के प्रस्तुतीकरण से सम्बंधित अनुदेश :

क) सामान्य अनुमति के अंतर्गत समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के विनिवेश/बंद होने/ समापन/स्वैच्छिक रूप से समापन की रिपोर्टिंग के लिए(ODI के भाग III) एक नई प्रणाली तैयार की गई है. यदि यह विनिवेश/बंद होने/ समापन/स्वैच्छिक रूप से समापन 27 मार्च 2006 के ए पी (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 29 और 29 जून 2011 के ए पी (डीआइआर सीरीज़) परिपत्र सं.73 के साथ पठित दिनांक 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं फेमा 120/आरबी-2004, समय समय पर संशोधित, के अनुसार स्वायत्त रूट में है तो नामित एडी बैंक द्वारा ODI भाग III फॉर्म में विनिवेश के 30 दिन के भीतर ओआइडी आवेदन ऑनलाइनप्रस्तुत करना होगा.

ख) आइपी/आरआइ द्वारा फॉर्म ODI भाग III नामित एडी बैंक को प्रस्तुत करना होगा जो उनके नोडल कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन ओआइडी आवेदन में रिपोर्ट किया जाएगा.

ग) विनिवेशके बाकि सभी मामलों में, वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, आवश्यक समर्थक दस्तावेजों के साथ आवेदनपत्र रिज़र्व बैंक को पूर्व अनुमोदन के लिए भेजना होगा. प्रस्ताव अनुमोदित होने पर एडी बैंक को फॉर्म ODI भाग III में रिज़र्वबैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ताकि यूआइएन को निरस्त/बंद किया जा सके.

घ) सभी राशियाँ वास्तविक और एक विदेशी मुद्रा में होनी चाहिए.

ङ) सभी तारीखें दिदि/मामा/ववvv के फार्मेट में दी जाएँ.